[2019] 4 उम. नि. प. 102

राज्य मार्फत कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस थाना, बंगलूरु

बनाम

एम. आर. हिरेमथ

[2019 की दांडिक अपील सं. 819]

1 मई, 2019

न्यायमूर्ति (डा.) डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 65ख [सपठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 8, 13(1)(घ) और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 231 और 482] – इलैक्ट्रानिक अभिलेखों की ग्राह्यता – लोक सेवक – अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच रिश्वत के लेन-देन से संबंधित बातचीत को जासूसी कैमरे में रिकार्ड किया जाना – अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र फाइल करने के प्रक्रम पर उपधारा (4) के अधीन आज्ञापक प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उन्मोचित किया जाना – किसी अभियुक्त के विरुद्ध इलैक्ट्रानिक अभिलेख के संबंध में उसके स्रोत और प्रमाणिकता से संबंधित उपधारा (4) के अधीन प्रमाणपत्र, आरोप पत्र फाइल करने के प्रक्रम पर प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, अपितु ऐसा प्रमाणपत्र विचारण में साक्ष्य देने के प्रक्रम पर प्रस्तुत करना आज्ञापक है, अतः आरोप पत्र फाइल करने के प्रक्रम पर इसके अभाव के आधार पर अभियुक्त को उन्मोचित करना न्यायोचित नहीं होगा ।

मामले के तथ्यों के अनुसार, प्रत्यर्थी तात्विक समय पर बंगलूरु विकास प्राधिकरण के भूमि अर्जन अनुभाग में उपायुक्त के रूप में सेवारत था । बंगलूरु विकास प्राधिकरण ने बंगलूरु की बाह्य सीमा पर एक अभिन्यास की विरचना के लिए कतिपय भूमि अर्जित की थी । शिकायतकर्ता ने भूमियों की अधिसूचना को रद्द करने के लिए न्यायालय में समावेदन किया, जिसके पश्चात् एक निदेश जारी किया गया था । तद्नुसार, शिकायतकर्ता ने बंगलूरु विकास प्राधिकरण को भूमियों की

अधिसूचना रद्द करने के लिए एक आवेदन दिया । शिकायतकर्ता ने तारीख 6 नवम्बर, 2012 को प्रत्यर्थी (अभियुक्त सं. 1) से मिलने का प्रयत्न किया जिसके द्वारा फाइल अधिसूचना रद्द करने वाली समिति के समक्ष रखी जानी थी । यद्यपि शिकायतकर्ता को प्रत्यर्थी से नहीं मिलने दिया गया, वह उसके ड्राइवर से मिला जिसके माध्यम से उसे पता चला कि ऐसे मामले द्वितीय अभियुक्त, एक अधिवक्ता जो तात्पर्यित रूप से प्रत्यर्थी के एजेंट के रूप में कार्य करता है, 'के माध्यम से' से किए जाते हैं । शिकायतकर्ता ने यह आशंका करते हुए कि द्वितीय अभियुक्त द्वारा रिश्वत की मांग की जाएगी, तारीख 8 नवम्बर, 2012 को लोकायुक्त पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज की गई । पुलिस ने उसे एक जासूसी कैमरा सौंपा । शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच हुई बातचीत जासूसी कैमरे में रिकार्ड हुई थी, जिसके दौरान, अभिकथित रूप से, काम को पूरा करने के लिए लेन-देन की जाने वाली रकम के विषय में कुछ चर्चा हुई थी । लोकायुक्त के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई और एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । तत्पश्चात्, अभिकथित रूप से जाल बिछाया गया और द्वितीय अभियुक्त को प्रत्यर्थी की ओर से पांच लाख रुपए की रकम अभिकथित रिश्वत की आरंभिक रकम के निमित्त प्राप्त करते हुए गिरफ्तार किया गया । अन्वेषण के पश्चात् आरोप पत्र फाइल किया । भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 7, 8 और 13(1)(घ) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए । प्रत्यर्थी ने दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन क्रमवार तीन याचिकाएं (दांडिक याचिका सं. 7562/2012, 11252/2013 और 20394/2013) संस्थित की । प्रथम दो याचिकाएं तारीख 26 फरवरी, 2013 को वापस ले लिए जाने के कारण प्रत्यर्थी को यह स्वतंत्रता देते हुए खारिज कर दी गईं कि वह कार्यवाहियों से उन्मोचन की ईप्सा के लिए अपने उपचार को जारी रख सकता है । उच्च न्यायालय ने तीसरी याचिका को भी खारिज कर दिया । इसके पश्चात् प्रथम प्रत्यर्थी ने विशेष न्यायाधीश बंगलूरु के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के अधीन एक उन्मोचन आवेदन फाइल किया । विचारण न्यायाधीश ने तारीख 5 दिसम्बर, 2016 के आदेश द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया । इस आदेश को पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय के

समक्ष प्रश्नगत किया गया । पुनरीक्षण को संधार्यता के आधार पर नामंजूर कर दिया गया । प्रत्यर्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन एक याचिका संस्थित की । उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाहियों को मुख्य रूप से इस आधार पर अभिखंडित कर दिया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 ख के अधीन प्रमाणापत्र के अभाव में जासूसी कैमरा पर आधारित इलैक्ट्रानिक अभिलेख का द्वितीयक साक्ष्य, साक्ष्य में अग्राह्य है । राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की है कि जब आरोप पत्र फाइल किया गया था उस प्रक्रम पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 ख (4) के अधीन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अभियोजन पक्ष के लिए घातक था । ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता जब उद्भूत होगी जब विचारण पर साक्ष्य में इलैक्ट्रानिक अभिलेख प्रस्तुत किए जाने की ईप्सा की जाती है । यही वह प्रक्रम है जहां प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता उद्भूत होगी । प्रस्तुत मामले में, शिकायतकर्ता तारीख 15 नवम्बर, 2016 को अभिकथित रूप से प्रत्यर्थी से मिला था । मुलाकात के दौरान, एक जासूसी कैमरे में बातचीत रिकार्ड की गई थी । इससे पूर्व, अन्वेषक अधिकारी ने शिकायतकर्ता को जासूसी कैमरा सौंपा था । यह प्रक्रम अन्वेषण के प्रारंभ होने का द्योतक नहीं है । इस प्रक्रम पर, आरंभिक जांच के अनुक्रम में, यह अभिनिश्चित करना था कि शिकायतकर्ता द्वारा जो इत्तिला दी गई है, क्या उसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है । दूसरे शब्दों में, जो कवायद तारीख 15 नवम्बर, 2012 को की गई थी, उसका प्रयोजन यह अभिनिश्चित करने के लिए एक आरंभिक जांच करना था कि क्या इत्तिला से संज्ञेय अपराध प्रकट होता है या नहीं । उच्च न्यायालय ने प्रस्तुत मामले में उपरोक्त सभी विषयों पर गलती की है । उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की है कि जब आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, तब धारा 65 ख के अधीन प्रमाणपत्र के अभाव में अभियोजन पक्ष असफल होने के लिए दायी था और उस प्रक्रम पर कार्यवाही को अभिखंडित किया जाना चाहिए था । उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उस अन्य सामग्री की अनदेखी की है जिस पर अभियोजन पक्ष ने अवलंब लेना चाहा था । अंतिमत:, प्रथम इत्तिला

रिपोर्ट दर्ज होने से पूर्व ऐसा कोई अन्वेषण प्रारंभ नहीं हुआ था । अन्वेषक अधिकारी ने एक आरंभिक जांच का सहारा लिया था । उच्च न्यायालय को इस तथ्य को संज्ञान में रखना चाहिए था कि विचारण न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के अधीन उन्मुक्ति के लिए आवेदन पर विचार कर रहा था । इस अधिकारिता के प्रयोग को शासित करने वाले मानदंडों को इस न्यायालय के कई विनिश्चयों में अभिव्यक्त किया गया है । यह विधि का एक स्थिर सिद्धांत है कि उन्मोचन के लिए आवेदन पर विचार करने के प्रक्रम पर न्यायालय को अवश्य इस धारणा के आधार पर अग्रसर होना चाहिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर जो सामग्री लाई गई है वह सत्य है और उस सामग्री का यह अवधारण करने के लिए मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या सामग्री से प्रकट होने वाले तथ्यों से, सकृत दर्शने, अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक संघटकों का विद्यमान होना प्रकट होता है या नहीं । (पैरा 16, 21, 22 और 23)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2018]	(2018) 16 एस. सी. सी. 272 : **भारत संघ और अन्य** बनाम **सीडीआर रविन्द्र वी. देसाई** ;	15
[2017]	(2017) 8 एस. सी. सी. 570 : **सोनू** उर्फ **अमर** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	15
[2014]	(2014) 11 एस. सी. सी. 709 : **तमिलनाडु राज्य** बनाम **एन. सुरेश राजन** ;	23
[2014]	(2014) 10 एस. सी. सी. 473 : **अनवर पी. वी.** बनाम **पी. के. बशीर** ;	14
[2014]	(2014) 2 एस. सी. सी. 1 : **ललिता कुमारी** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	10,11,18, 20,22,23
[1975]	[1975] 3 उम. नि. प. 931 = (1970) 1 एस. सी. सी. 595 : **पी. सिराजुद्दीन** बनाम **मद्रास राज्य** ।	19,20

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील सं. 819.

2017 की दांडिक याचिका सं. 3202 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु के तारीख 27 अप्रैल, 2017 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — सर्वश्री जोसफ अरिस्टोटले एस., (श्रीमती) प्रिया अरिस्टोटले और शिवा पी.

प्रत्यर्थी की ओर से — सर्वश्री बासवा प्रभू पाटिल, ज्येष्ठ अधिवक्ता, आनंद संजय एम. नुली, धर्म सिंह और (सुश्री) रचित्मा हिरेमथ (मैसर्स नुली एंड नुली की ओर से)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (डा.) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने दिया ।

न्या. (डा.) चंद्रचूड़ – इजाजत दी गई ।

2. यह अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश के तारीख 27 अप्रैल, 2017 के उस निर्णय से उद्भूत हुई है, जिसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन एक याचिका मंजूर की गई थी । ऐसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश, बंगलूरु के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के अधीन उन्मोचित करने के प्रत्यर्थी के आवेदन को नामंजूर करने वाले तारीख 5 दिसम्बर, 2016 के आदेश को अपास्त कर दिया था ।

3. प्रत्यर्थी तात्विक समय पर बंगलूरु विकास प्राधिकरण के भूमि अर्जन अनुभाग में उपायुक्त के रूप में सेवारत था । बंगलूरु विकास प्राधिकरण ने बंगलूरु की बाह्य सीमा पर एक अभिन्यास की विरचना के लिए कतिपय भूमि अर्जित की थी । शिकायतकर्ता ने भूमियों की अधिसूचना को रद्द करने के लिए न्यायालय में समावेदन किया, जिसके पश्चात् एक निदेश जारी किया गया था । तद्नुसार, शिकायतकर्ता ने बंगलूरु विकास प्राधिकरण को भूमियों की अधिसूचना रद्द करने के लिए एक आवेदन दिया ।

4. अभियोजन का पक्षकथन यह है कि शिकायतकर्ता ने तारीख 6 नवम्बर, 2012 को प्रत्यर्थी (अभियुक्त सं. 1) से मिलने का प्रयत्न किया जिसके द्वारा फाइल अधिसूचना रद्द करने वाली समिति के समक्ष रखी जानी थी । यह अभिकथित है कि यद्यपि शिकायतकर्ता को प्रत्यर्थी से नहीं मिलने दिया गया, वह उसके ड्राइवर से मिला जिसके माध्यम से उसे पता चला कि ऐसे मामले द्वितीय अभियुक्त, एक अधिवक्ता जो तात्पर्यित रूप से प्रत्यर्थी के एजेंट के रूप में कार्य करता है, 'के माध्यम से' किए जाते हैं । यह आशंका करते हुए कि द्वितीय अभियुक्त द्वारा रिश्वत की मांग की जाएगी, तारीख 8 नवम्बर, 2012 को लोकायुक्त पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज की गई । पुलिस ने एक जासूसी कैमरा सौंपा और इसके साथ-साथ पालन किए जाने वाले अनुदेश भी दिए । यह अभिकथित है कि शिकायतकर्ता के एक प्रतिनिधि के साथ द्वितीय अभियुक्त की बैठक की व्यवस्था की गई । तारीख 12 और 13 नवम्बर, 2012 को द्वितीय अभियुक्त के साथ बैठक हुई, जिसने कथित रूप से शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि को इस सौदे के निपटारे में लगने वाली रकम के बारे में सूचित किया । अभियोजन पक्ष का यह अभिकथन है कि शिकायतकर्ता तारीख 15 नवम्बर, 2012 को लगभग 7.30 बजे अपराह्न में बंगलूरु विकास प्राधिकरण के कार्यालय के निकट प्रत्यर्थी से मिला । शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच हुई बातचीत जासूसी कैमरे में रिकार्ड हुई थी, जिसके दौरान, अभिकथित रूप से, काम को पूरा करने के लिए लेन-देन की जाने वाली रकम के विषय में कुछ चर्चा हुई थी ।

5. तारीख 16 नवम्बर, 2012 को लोकायुक्त के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई और एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । तत्पश्चात्, अभिकथित रूप से जाल बिछाया गया और द्वितीय अभियुक्त को प्रत्यर्थी की ओर से पांच लाख रुपए की रकम अभिकथित रिश्वत की आरंभिक रकम के निमित्त प्राप्त करते हुए गिरफ्तार किया गया । अन्वेषण के पश्चात् आरोप पत्र फाइल किया ।

6. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 7, 8 और 13(1)(घ) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए ।

7. प्रत्यर्थी ने दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन क्रमवार तीन याचिकाएं (दांडिक याचिका सं. 7562/2012, 11252/2013 और 20394/2013) संस्थित की । प्रथम दो याचिकाएं तारीख 26 फरवरी, 2013 को वापस ले लिए जाने के कारण प्रत्यर्थी को यह स्वतंत्रता देते हुए खारिज कर दी गईं कि वह कार्यवाहियां से उन्मोचन की ईप्सा के लिए अपने उपचार को जारी रख सकता है । उच्च न्यायालय ने तीसरी याचिका को भी खारिज कर दिया ।

8. इसके पश्चात् प्रथम प्रत्यर्थी ने विशेष न्यायाधीश बंगलूरु के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के अधीन एक उन्मोचन आवेदन फाइल किया । विचारण न्यायाधीश ने तारीख 5 दिसम्बर, 2016 के आदेश द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया । इस आदेश को पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत किया गया । पुनरीक्षण को संधार्यता के आधार पर नामंजूर कर दिया गया । प्रत्यर्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन एक याचिका संस्थित की, जिसकी परिणति विद्वान् एकल न्यायाधीश के तारीख 27 अप्रैल, 2017 के आक्षेपित आदेश में हुई ।

9. विद्वान् एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाहियों को इस आधार पर अभिखंडित कर दिया गया कि (i) साक्ष्य अधिनियम की धारा 65ख के अधीन प्रमाणपत्र के अभाव में, जासूसी कैमरा पर आधारित इलैक्ट्रानिक अभिलेख का द्वितीयक साक्ष्य, साक्ष्य में अग्राह्य है ; (ii) अभियोजन पक्ष "इस समय पर" कोई प्रमाणपत्र प्रदाय करने से निवारित हो जाता है चूंकि यह एक सोचा-समझा प्रमाणपत्र होगा ; और (iii) अभियोजन के पक्षकथन के लिए इलैक्ट्रानिक साक्ष्य के अलावा जो अन्य साक्ष्य उपलब्ध है, वह देखते ही अविश्वसनीय है । विद्वान् न्यायाधीश ने फिर यह अभिनिर्धारित किया कि द्वितीय अभियुक्त जो बिछाए गए जाल की कार्यवाहियों का विषय था, उसके द्वारा इस घटनाक्रम में प्रत्यर्थी को सहायक होने के रूप में नामित किया गया नहीं दर्शाया गया है । इस निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाहियां अभिखंडित कर दी गई ।

10. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल, श्री जोसफ अरिस्टोटले एस. ने उच्च न्यायालय के निर्णय की शुद्धता को चुनौती देते हुए यह दलील दी कि (i) उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके स्पष्ट रूप से गलती की है कि इस प्रक्रम पर धारा 65 ख के अधीन प्रमाणपत्र आवश्यक था ; (ii) धारा 65ख के अधीन प्रमाणपत्र उस प्रक्रम पर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा जब विचारण पर साक्ष्य के अनुक्रम में इलैक्ट्रानिक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है और इसलिए जिस प्रक्रम पर उच्च न्यायालय ने इस उपबपंध को लागू करना चाहा था वह समयपूर्व प्रक्रम था ; (iii) अभियोजन पक्ष जासूसी कैमरा से संबंधित इलैक्ट्रानिक साक्ष्य के अलावा अन्य सामग्री का भी अवलंब ले रहा है, जिससे प्रथमदृष्ट्या प्रथम और द्वितीय अभियुक्त की अंतर्ग्रस्तता दर्शित होती है ; (iv) उच्च न्यायालय ने इस साक्ष्य की प्रकृति पर विचार किए बिना अभियोजन पक्ष को इस सामग्री का अवलंब लेने से इस अस्पष्टीकृत प्रकथन के आधार पर रोक दिया गया कि यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है ; (v) शिकायतकर्ता को जासूसी कैमरा सौंप कर और तारीख 15 नवम्बर, 2012 को प्रत्यर्थी के साथ हुई बैठक में जो कुछ उजागर हुआ उसे रिकार्ड करने में अपनाई गई प्रक्रिया में अन्वेषक अधिकारी केवल उस प्रकृति की आरंभिक जांच कर रहा था जो **ललिता कुमारी** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय द्वारा अनुध्यात की गई है ; और (vi) आरंभिक जांच का प्रयोजन केवल अभियोजन पक्ष को यह अभिनिर्धारित करने के लिए समर्थ बनाना था कि क्या कोई संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं । दूसरे शब्दों में, आरंभिक जांच के दौरान जासूसी कैमरे का उपयोग एक जाल बिछाने से पूर्व की महाजर की प्रकृति का था जो उन अपवादों के अंतर्गत आता है जो **ललिता कुमारी** (उपर्युक्त) वाले मामले के विनिश्चय में उल्लिखित हैं । यह दलील दी गई कि अन्वेषण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में अंतर्विष्ट उपबंधों को ध्यान में रखते हुए केवल उसके पश्चात् प्रारंभ होगा ।

11. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान्

---

[1] (2014) 2 एस. सी. सी. 1.

ज्येष्ठ काउंसेल श्री बासवा प्रभू पाटिल ने उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए यह दलील दी कि (i) इस मामले में अन्वेषण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण से पहले ही प्रारंभ हो गया था । घटनाएं, जो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत होने से पहले तारीख 16 नवम्बर, 2012 से पूर्व प्रकट हुई थी और जो सामग्री एकत्रित की गई थी वह साक्ष्य में अग्राह्य हैं ; (ii) जबकि **ललिता कुमारी** (उपर्युक्त) वाले मामले में संविधान पीठ के विनिश्चय में आरंभिक जांच को विशिष्ट रूप से ऐसे मामले में मंजूरी दी गई है, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन भ्रष्टाचार अंतर्वलित है, किन्तु विचारण न्यायालय ने इस न्यायालय के विनिश्चय से यह निष्कर्ष निकालने में गलती की है कि अन्वेषक अधिकारी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज होने से पूर्व ही साक्ष्य एकत्रित करने के लिए हकदार है ; (iii) थाना डायरी में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कोई बात उपदर्शित होती हो, यहां तक कि प्रविष्टि तक नहीं है ; (iv) परिणामत:, विचारण न्यायालय का विनिश्चय **ललिता कुमारी** (उपर्युक्त) वाले मामले में प्रतिपादित सिद्धांत के असंगत था, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करना आवश्यक था ; (v) वस्तुत:, द्वितीय प्रत्यर्थी के विरुद्ध विचारण अग्रसर हुआ था और सात वर्ष व्यतीत होने के बावजूद अभियोजन पक्ष साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 ख के अधीन प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करने में असफल रहा ; और (vi) धारा 65 ख के अधीन प्रमाणपत्र के अभाव में, सामग्री का अभाव है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के अधीन उन्मोचन आवश्यक है ।

12. इन्हीं दलीलों पर विचार किया जाना है ।

13. जिस मूल आधार पर उच्च न्यायालय कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के लिए अग्रसर हुआ, उसकी यह परिकल्पना थी कि धारा 65 ख, जिसमें कोई इलैक्ट्रानिक अभिलेख का द्वितीयक साक्ष्य देने के लिए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है, इसी प्रक्रम पर ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आदिष्ट करती है और जिसके अभाव में अभियोजन का पक्षकथन असफल होने योग्य है । धारा 65ख निम्न

प्रकार से है :-

"धारा 65ख. इलैक्ट्रानिक अभिलेखों की ग्राह्यता – (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अंतर्विष्ट किसी सूचना को भी, जो कम्प्यूटर द्वारा उत्पादित और किसी कागज पर मुद्रित, प्रकाशीय या चुंबकीय मीडिया में भंडारित, अभिलिखित या नकल की गई हो (जिसे इसमें इसके पश्चात् कम्प्यूटर निर्गम कहा गया है), तब तक एक दस्तावेज समझा जाएगा, यदि प्रश्नगत सूचना और कम्प्यूटर के संबंध में, इस धारा में उल्लिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं और वह मूल की किसी अंतर्वस्तु या उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में, जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राह्य होता, अतिरिक्त सबूत या मूल को पेश किए बिना ही किन्हीं कार्यवाहियों में ग्राह्य होगा ।

(2) कम्प्यूटर निर्गम की बाबत उपधारा (i) में वर्णित शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात् –

(क) सूचना से युक्त कम्प्यूटर निर्गम, कम्प्यूटर द्वारा उस अवधि के दौरान उत्पादित किया गया था जिसमें उस व्यक्ति द्वारा, जिसका कम्प्यूटर के उपयोग पर विधिपूर्ण नियंत्रण था, उस अवधि में नियमित रूप से किए गए किसी क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए, सूचना भंडारित करने या प्रसंस्करण करने के लिए नियमित रूप से कम्प्यूटर का उपयोग किया गया था ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान, इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट किस्म की सूचना या उस किस्म की जिससे इस प्रकार अन्तर्विष्ट सूचना व्युत्पन्न की जाती है, उक्त क्रियाकलापों के सामान्य अनुक्रम में कम्प्यूटर में नियमित रूप से भरी गई थी ;

(ग) उक्त अवधि के महत्वपूर्ण भाग में आद्योपांत, कम्प्यूटर समुचित रूप से कार्य कर रहा था अथवा, यदि नहीं तो, उस अवधि के उस भाग की बाबत, जिसमें कम्प्यूटर समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहा था या वह उस अवधि में प्रचालन में नहीं था, ऐसी अवधि नहीं थी जिससे इलैक्ट्रानिक

अभिलेख या उसकी अंतर्वस्तु की शुद्धता प्रभावित होती हो ; और

(घ) इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट सूचना ऐसी सूचना से पुन: उत्पादित या व्युत्पन्न की जाती है, जिसे उक्त क्रियाकलापों के सामान्य अनुक्रम में कम्प्यूटर में भरा गया था ।

(3) जहां किसी अवधि में, उपधारा (2) के खंड (क) में यथा उल्लिखित, उस अवधि के दौरान नियमित रूप से किए गए किन्हीं क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए सूचना के भंडारण या प्रसंस्करण का कार्य कम्प्यूटरों द्वारा नियमित रूप से निष्पादित किया गया था, चाहे यह –

(क) उस अवधि में कम्प्यूटरों के प्रचालन के संयोजन द्वारा ; या

(ख) उस अवधि में उत्तरोत्तर प्रचालित विभिन्न कम्प्यूटरों द्वारा ; या

(ग) उस अवधि में उत्तरोत्तर प्रचालित कम्प्यूटरों के विभिन्न संयोजनों द्वारा ; या

(घ) उस अवधि में उत्तरोत्तर प्रचालन को अंतर्वलित करते हुए किसी अन्य रीति में हो, चाहे वह एक या अधिक कम्प्यूटरों और एक या अधिक कम्प्यूटरों के संयोजनों द्वारा किसी भी क्रम में हो,

उस अवधि के दौरान उस प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए सभी कम्प्यूटर इस धारा के प्रयोजनों के लिए एकल कम्प्यूटर के रूप में माने जाएंगे और इस धारा में कम्प्यूटर के प्रतिनिर्देश का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा ।

(4) किन्हीं कार्यवाहियों में, जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में विवरण दिया जाना वांछित है, निम्नलिखित बातों में से किसी बात को पूरा करते हुए प्रमाण पत्र, अर्थात् –

(क) विवरण से युक्त इलैक्ट्रानिक अभिलेख की पहचान करना और उस रीति का वर्णन करना जिससे इसका उत्पादन

किया गया था ;

(ख) उस इलैक्ट्रानिक अभिलेख के उत्पादन में अन्तर्वलित किसी युक्ति की ऐसी विशिष्टियां देना, जो यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हों कि इलैक्ट्रानिक अभिलेख का कम्प्यूटर द्वारा उत्पादन किया गया था,

(ग) ऐसे विषयों में से किसी पर कार्रवाई करना, जिससे उपधारा (2) में उल्लिखित शर्तें संबंधित हैं,

और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए तात्पर्यित होना, जो सुसंगत युक्ति के प्रचालन या सुसंगत क्रियाकलाप के प्रबंध के (जो भी समुचित हों) संबंध में उत्तरदायी पदीय हैसियत में हो, प्रमाणपत्र में कथित किसी विषय का साक्ष्य होगा ; और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे विषय के लिए यह कथन पर्याप्त होगा कि यह कथन करने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर कहा गया है ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, –

(क) सूचना किसी कम्प्यूटर को प्रदाय की गई समझी जाएगी यदि यह किसी समुचित रूप में प्रदाय की गई है, चाहे इस प्रकार किया गया प्रदाय सीधे (मानव मध्यक्षेप सहित या रहित) या किसी समुचित उपस्कर के माध्यम द्वारा किया गया हो ;

(ख) चाहे किसी पदधारी द्वारा किए गए क्रियाकलापों के अनुक्रम में सूचना इसके भंडारित या प्रसंस्कृत किए जाने की दृष्टि से उक्त क्रियाकलापों के अनुक्रम से अन्यथा प्रचालित कम्प्यूटर द्वारा उक्त क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए प्रदान की जाती है, वह सूचना, यदि सम्यक् रूप से उसे कम्प्यूटर को प्रदान की जाती है तो, उन क्रियाकलापों के अनुक्रम में प्रदाय की गई समझी जाएगी ।

(ग) कम्प्यूटर उत्पाद को कम्प्यूटर द्वारा उत्पादित समझा जाएगा, चाहे यह इसके द्वारा सीधे उत्पादित हो (मानव मध्यक्षेप सहित या रहित) या किसी समुचित उपस्कर के माध्यम से हो ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अन्य सूचना से व्युत्पन्न की गई सूचना के प्रतिनिर्देश परिकलन, तुलना या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा उससे व्युत्पन्न के प्रतिनिर्देश होगा ।

14. धारा 65 ख के उपबंध **अनवर पी. वी.** बनाम **पी. के. बशीर**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष निर्वचन के लिए आए थे । इस न्यायालय ने इस उपबंध का निर्वचन करते हुए यह अभिनिर्धारित किया :-

"साक्ष्य अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक अभिलेख के द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य, धारा 59 और 65क को ध्यान में रखते हुए, केवल धारा 65ख के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार साबित किया जा सकता है । धारा 65ख इलैक्ट्रानिक अभिलेख के संबंध में है । इन उपबंधों का प्रयोजन कम्प्यूटर द्वारा जनित इलैक्ट्रानिक रूप में द्वितीय साक्ष्य को अनुमोदन प्रदान करना है ।"

धारा 65ख(4) किन्हीं कार्यवाहियों में वहां लागू होती है "जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में विवरण दिया जाना वांछित है"। उपधारा (4) के इस पहलू पर बल देते हुए **अनवर** (उपर्युक्त) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता तब उद्भूत होती है जब इलैक्ट्रानिक रिकार्ड साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जाना है । निर्णय से लिए गए निम्नलिखित उद्धरण में यह स्पष्ट किया गया है :-

"अति महत्वपूर्ण रूप से, ऐसा प्रमाणपत्र कम्प्यूटर प्रिंटआउट, कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी), विडियो कॉम्पैक्ट डिस्क(वीसीडी), पेन ड्राइव इत्यादि जैसे उस इलैक्ट्रानिक अभिलेख के साथ दिया जाना आवश्यक है, जिसके संबंध में साक्ष्य में कोई विवरण दिया जाना वांछित है, जब इसे साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाता है । ये सभी रक्षोपाय स्रोत और अधिप्रमाणिकता, जो साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किए जाने के लिए इप्सित इलैक्ट्रानिक अभिलेख से संबंधित दो

---

[1] (2014) 10 एस. सी. सी. 473.

प्रमाणचिह्न हैं, को सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं । इलैक्ट्रानिक अभिलेखों में छेड़छाड़, परिवर्तन, उलटना, कांट-छांट आदि करना अधिक संभव है, इसलिए ऐसे रक्षोपायों के बिना इलैक्ट्रानिक अभिलेखों पर आधारित संपूर्ण विचारण से न्याय की हानि हो सकती है ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

15. **भारत संघ और अन्य** बनाम **सीडीआर रविन्द्र वी. देसाई**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इसी मत को दोहराया गया है । न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि पूर्वत्तर अवसर पर धारा 65 ख के अधीन प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना एक साध्य (ठीक होने वाली) त्रुटि है । न्यायालय ने **सोनू** उर्फ **अमर** बनाम **हरियाणा राज्य**[2] वाले मामले में के पूर्ववर्ती विनिश्चय का अवलंब लिया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था :-

"निर्णायक कसौटी, जिसकी इस न्यायालय द्वारा अभिपुष्टि की गई है, यह है कि क्या त्रुटि को दस्तावेज चिन्हित करने के प्रक्रम पर दूर किया जा सकता था । प्रस्तुत मामले को यह कसौटी लागू करते हुए, यदि प्रमाणपत्र के बिना सीडीआर को चिन्हित करने का आक्षेप किया गया था, तो न्यायालय अभियोजन पक्ष को कमी में सुधार करने का अवसर दे सकता था ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

16. विधि के उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की है कि जब आरोप पत्र फाइल किया गया था उस प्रक्रम पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 65ख(4) के अधीन प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना अभियोजन पक्ष के लिए घातक था । ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता जब उद्भूत होगी जब विचारण पर साक्ष्य में इलैक्ट्रानिक अभिलेख प्रस्तुत किए जाने की ईप्सा की जाती है । यही वह प्रक्रम है जहां प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की

---

[1] (2018) 16 एस. सी. सी. 272.

[2] (2017) 8 एस. सी. सी. 570.

आवश्यकता उद्भूत होगी ।

17. मामले की उपरोक्त विशिष्टता, जिस पर पूरी तरह से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने गलती की है, के अतिरिक्त हमें अपीलार्थी की इस दलील पर भी ध्यान देना होगा कि अभियोजन पक्ष ने इलैक्ट्रानिक अभिलेख से स्वतंत्र अन्य सामग्री का भी अवलंब लिया था । ऐसी सामग्री विद्यमान होने का उल्लेख आरोप पत्र में किया गया है । उन दस्तावेजों, जिन पर अभियोजन पक्ष ने अवलंब लेना चाहा था, के ब्यौरों का विनिर्दिष्ट वर्णन आरोप पत्र, विशिष्ट रूप से मद 15, 25 और 28 से 31 में है । उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की इस दलील को इस सत्याभासी प्रकथन के आधार पर नामंजूर कर दिया कि "यह पाया गया है कि यह देखते ही, विश्वसनीय नहीं है ।"

18. इसके पश्चात् हम उस अगली महत्वपूर्ण दलील पर आते हैं जो प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री बासवा प्रभू पाटिल द्वारा दी गई है, जिस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। प्रत्यर्थी की ओर से यह दलील दी गई कि अन्वेषक अधिकारी की तारीख 16 नवम्बर, 2012 को शिकायतकर्ता को जासूसी कैमरा सौंपने की कवायद से यह उपदर्शित होता है कि अन्वेषण तारीख 16 नवम्बर, 2012 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज और रजिस्ट्रीकृत होने से पूर्व ही आरंभ हो गया था । यह दलील दी गई कि यह उन मानदंडों का भंग है जो **ललिता कुमारी** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा विहित किए गए हैं ।

19. संविधान पीठ के विनिश्चय का उल्लेख करने से पूर्व, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि **पी. सिराजुद्दीन** बनाम **मद्रास राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के पूर्ववर्ती विनिश्चय में ऐसे मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने से पूर्व, जिसमें किसी लोक सेवक द्वारा किया गया अभिकथित भ्रष्टाचार अंतर्वलित है, आरंभिक जांच करने के महत्व पर बल दिया गया था । इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया :-

> "17..... किसी लोक सेवक पर, चाहे उसकी कोई भी प्रास्थिति क्यों न हो, बेईमानी के ऐसे कार्यों का, जो इस मामले में

---

[1] [1975] 3 उम. नि. प. 931 = (1970) 1 एस. सी. सी. 595.

अभिकथित प्रकार के गंभीर दुराचरण या अवचार की कोटि के हों, सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए जाने से पहले और उनके विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने से पहले उन अभिकथनों की किसी उत्तरदायित्वपूर्ण अधिकारी द्वारा कुछ समुचित प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए । ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो अपीलार्थी के समान किसी विभाग में उच्चस्थ पद पर आसीन हो, ऐसी रिपोर्ट दर्ज किए जाने से, भले ही वह आधारहीन हो, न केवल विशिष्टतया उस अधिकारी को ही अपितु साधारणत: उस विभाग को भी, जिनका वह है, अपार अपहानि पहुंचेगी । यदि सरकार ने सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोध विभाग का गठन कर लिया है, जैसा कि मद्रास राज्य में कर लिया गया है और उक्त विभाग को इस प्रकार की जांच सौंप दी गई हो तो इस विभाग के अधिकारियों द्वारा किसी जांच का कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता बल्कि ऐसी जांच ऋजु और युक्तियुक्त रूप से की जानी चाहिए । जांच अधिकारी को ऐसे व्यक्ति, जिसके आचरण की जांच की जा रही हो, दोषिता के किसी पूर्वानुमानित विचार के अधीन कोई कार्य नहीं करना चाहिए अथवा ऐसे रूप में जांच नहीं करनी चाहिए जिससे यह अनुमान निकलता हो कि वह उन अध्युपायों को अपना कर जो संदेहपूर्ण विधिमान्यता या मंजूरी के हों, उक्त व्यक्ति की दोषसिद्धि को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प है । अपनाए जाने वाले साधन, जो प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों से किसी भी दशा में कम नहीं है, निष्पाप होने चाहिए । किसी अपराध से आरोपित किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध मामूली विभागीय कार्यवाहियों में आरोप पत्र जारी किए जाने से पहले सामान्य पद्धति यह अपनाई जाती है कि कोई प्राधिकारवान् व्यक्ति उस मामले में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के कथन लेता है और उन दस्तावेजों की परीक्षा करता है जिनका अंतर्वलित प्रश्न के साथ संबंध होता है । इसके पश्चात् ही आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाता है और पूरी तरह से जांच शुरू की जाती है । जब यह पता लगाने के प्रयोजन के लिए कोई जांच की जाती है कि क्या दांडिक कार्यवाहियों का उनके विस्तार तक अवलंब लिया जा सकता है, उन

कार्यवाहियों का उनके विस्तार तक अवलंब लिया जा सकता है, उन व्यक्तियों की परीक्षा तक, जिन्हें दोषी अधिकारी के कार्यकलापों की जानकारी हो और यह पता लगाने के लिए कि क्या अधिकारी की दोषसिद्धि का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य है, इस बात से संबंधित दस्तावेजों की परीक्षा तक ही सीमित होना चाहिए । तत्पश्चात्, देश की साधारण विधि का अनुकरण किया जाना चाहिए और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करके दंड प्रक्रिया संहिता के निबंधनों के अनुसार आगे की जांच की जानी चाहिए ।"

20. **पी. सिराजुद्दीन** (उपर्युक्त) वाले मामले में वहां आरंभिक जांच की आवश्यकता पर बल दिया गया था, जहां किसी लोक सेवक ने अभिकथित रूप से गंभीर दुराचरण से अंतर्वलित बेईमानी का कार्य किया है । आरंभिक जांच का प्रयोजन यह अभिनिश्चित करना है कि क्या कोई संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की जा सके । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154[1] के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का आधार वह इत्तिला है जो कोई संज्ञेय अपराध कारित होने के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है । यह जांच यह अभिनिश्चित करने की दृष्टि से की जाती है कि क्या किसी लोक सेवक द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के अभिकथित कृत्य से अंतर्वलित मामले में संज्ञेय अपराध का आलिप्त होना प्रतीत होता है या नहीं । **पी. सिराजुद्दीन** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय में यही आरंभिक जांच किए जाने का निदेश दिया गया था । **पी. सिराजुद्दीन** (उपर्युक्त) वाले मामले में के विनिश्चय को संविधान पीठ द्वारा **ललिता कुमारी** (उपर्युक्त) वाले मामले में मान्यता दी गई थी और

---

[1] "154. संज्ञेय मामलों में इत्तिला – (1) संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निदेशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे और उसका सार ऐसी पुस्तक में, जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट किया जाएगा ।

उसका अनुसरण किया गया था । संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 का आधारतत्व कोई संज्ञेय अपराध कारित होने को इंगित करते हुए इत्तिला प्राप्त होने पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करना आज्ञापक है, फिर भी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, जहां आरंभिक जांच किया जाना आवश्यक हो सकता है । उन मामलों को इंगित करते हुए जहां आरंभिक जांच आवश्यक हो सकती है, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया :–

> "120.5. आरंभिक जांच का प्रविषय प्राप्त हुई इत्तिला की सत्यता या अन्यथा का सत्यापन करना नहीं है अपितु केवल यह अभिनिश्चित करना है कि क्या इत्तिला से कोई संज्ञेय अपराध प्रकट होता है या नहीं ।
>
> 120.6. किस प्रकार के और किन मामलों में आरंभिक जांच की जानी चाहिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा । जिन प्रवर्ग के मामलों में आरंभिक जांच की जा सकती है, वे निम्नलिखित हैं –
>
> (क) वैवाहिक विवाद/कौटुम्बिक विवाद
>
> (ख) वाणिज्यिक अपराध
>
> (ग) चिकित्सा उपेक्षा के मामले
>
> (घ) भ्रष्टाचार के मामले
>
> (ङ) ऐसे मामले जहां दांडिक अभियोजन आरंभ करने में अप्रसामान्य विलंब/गफलत हुआ है, उदाहरण के लिए विलंब के लिए कारणों का समाधानप्रद स्पष्टीकरण दिए बिना मामले की रिपोर्ट करने में तीन माह से अधिक का विलंब ।"

आरंभिक जांच करने के प्रयोजन को निम्नलिखित उद्धरण में सविस्तार उल्लिखित किया गया है :–

> "अतः, रजिस्ट्रीकृत करने या रजिस्ट्रीकृत न करने के संबंध में विभिन्न प्रति दावों को ध्यान में रखते हुए, केवल आवश्यक यह है कि

पुलिस को दी गई इत्तिला से अवश्य कोई संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होना चाहिए । ऐसी स्थिति में, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकरण आज्ञापक है । तथापि, यदि दी गई इत्तिला से कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है, तब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तुरंत रजिस्ट्रीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है और शायद पुलिस यह अभिनिश्चित करने के सीमित प्रयोजन के लिए प्रारंभिक प्रकार का सत्यापन या जांच कर सकती है कि क्या कोई संज्ञेय अपराध कारित हुआ है या नहीं । किंतु, यदि दी गई इत्तिला में स्पष्ट रूप से कोई संज्ञेय अपराध का किया जाना वर्णित है, तो तुरंत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के प्रक्रम पर अन्य बातें सुसंगत नहीं हैं, जैसे क्या इत्तिला मिथ्या रूप से तो नहीं दी गई है, क्या इत्तिला असली है, क्या इत्तिला विश्वसनीय है इत्यादि । ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका सत्यापन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अन्वेष्ण के दौरान किया जाएगा । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के प्रक्रम पर, मात्र यह देखा जाना चाहिए कि क्या दी गई इत्तिला से प्रत्यक्षत: किसी संज्ञेय अपराध का कारित होना प्रकट होता है, यदि, अन्वेषण के पश्चात् दी गई इत्तिला मिथ्या होना पाई जाती है, तो शिकायतकर्ता को मिथ्या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल करने के लिए अभियोजित करने का सदैव विकल्प रहता है ।"

21. प्रस्तुत मामले में, शिकायतकर्ता तारीख 15 नवम्बर, 2016 को अभिकथित रूप से प्रत्यर्थी से मिला था । मुलाकात के दौरान, एक जासूसी कैमरे में बातचीत रिकार्ड की गई थी । इससे पूर्व, अन्वेषक अधिकारी ने शिकायतकर्ता को जासूसी कैमरा सौंपा था । यह प्रक्रम अन्वेषण के प्रारंभ होने का द्योतक नहीं है । इस प्रक्रम पर, आरंभिक जांच के अनुक्रम में, यह अभिनिश्चित करना था कि शिकायतकर्ता द्वारा जो इत्तिला दी गई है, क्या उसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है । दूसरे शब्दों में, जो कवायद तारीख 15 नवम्बर, 2012 को की गई थी, उसका प्रयोजन यह अभिनिश्चित करने के लिए एक आरंभिक जांच करना था कि क्या इत्तिला से संज्ञेय अपराध प्रकट

होता है या नहीं ।

22. उच्च न्यायालय ने प्रस्तुत मामले में उपरोक्त सभी विषयों पर गलती की है । उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की है कि जब आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, तब धारा 65ख के अधीन प्रमाणपत्र के अभाव में अभियोजन पक्ष असफल होने के लिए दायी था और उस प्रक्रम पर कार्यवाही को अभिखंडित किया जाना चाहिए था । उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उस अन्य सामग्री की अनदेखी की है जिस पर अभियोजन पक्ष ने अवलंब लेना चाहा था । अंतिमतः, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज होने से पूर्व ऐसा कोई अन्वेषण प्रारंभ नहीं हुआ था । अन्वेषक अधिकारी ने एक आरंभिक जांच का सहारा लिया था । यह **ललिता कुमारी** (उपर्युक्त) वाले मामले के विनिश्चय के अनुरूप था ।

23. उच्च न्यायालय को इस तथ्य को संज्ञान में रखना चाहिए था कि विचारण न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के अधीन उन्मुक्ति के लिए आवेदन पर विचार कर रहा था । इस अधिकारिता के प्रयोग को शासित करने वाले मानदंडों को इस न्यायालय के कई विनिश्चयों में अभिव्यक्त किया गया है । यह विधि का एक स्थिर सिद्धांत है कि उन्मोचन के लिए आवेदन पर विचार करने के प्रक्रम पर न्यायालय को अवश्य इस धारणा के आधार पर अग्रसर होना चाहिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर जो सामग्री लाई गई है वह सत्य है और उस सामग्री का यह अवधारण करने के लिए मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या सामग्री से प्रकट होने वाले तथ्यों से, सकृत दर्शने, अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक संघटकों का विद्यमान होना प्रकट होता है या नहीं । **तमिलनाडु राज्य** बनाम **एन. सुरेश राजन**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने इस विषय पर पूर्ववर्ती विनिश्चयों का उल्लेख करते हुए यह अभिनिर्धारित किया :–

> "29. ..... इस प्रक्रम पर, सामग्री के साक्ष्यिक महत्व पर विचार किया जाना चाहिए और न्यायालय से मामले की तह में

---

[1] (2014) 11 एस. सी. सी. 709.

जाने और यह अभिनिर्धारित करने की प्रत्याशा नहीं की जाती है कि सामग्री के आधार पर दोषसिद्धि नहीं होगी । हमारी राय में, जिस बात पर विचार किए जाने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या यह उपधारणा करने का आधार है कि अपराध कारित किया गया है, न कि यह कि क्या अभियुक्त को दोषसिद्ध करने का आधार बनता है या नहीं । दूसरे शब्दों में, यदि अभिलेख पर की सामग्री और उसके साक्ष्यिक महत्व के आधार पर न्यायालय का यह विचार है कि अभियुक्त ने अपराध किया होगा, तो वह आरोप विरचित कर सकता है, यद्यपि दोषसिद्ध के लिए, न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि अभियुक्त ने अपराध किया था । विधि इस प्रक्रम पर एक लघु विचारण करने की अनुज्ञा नहीं देती है ।"

24. उपरोक्त कारणों से हमारा यह मत है कि यह अपील मंजूर की जानी चाहिए । तद्नुसार, हम यह अपील मंजूर करते हैं और 2017 की दांडिक रिट याचिका सं. 3202 में उच्च न्यायालय के तारीख 24 अप्रैल, 2017 के निर्णय और आदेश को अपास्त करते हैं । तद्नुसार, हम विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए उन्मोचन आवेदन को खारिज करते हुए तारीख 5 दिसम्बर, 2016 को पारित किए गए आदेश को कायम रखते हैं ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.